भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2227

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में आशा कार्यकर्ताओं हेतु सामाजिक सुरक्षा

†2227. डॉ. शशि थरूरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल और देश भर के अन्य राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय के अनियमित भुगतान, सामाजिक सुरक्षा लाभ की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यान्वयन में आशा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, देश भर के राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए भुगतान ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और मान्यता ढांचे को मानकीकृत करने हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं; और
(घ) क्या सरकार की आशा कार्यकर्ताओं के लिए करियर प्रगति, बीमा और क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय रूप-रेखा आरम्भ करने की योजना है और यदि हाँ, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय का है और आशाकर्मियों को सहायता प्रदान करने सहित जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में बताई गई आवश्यताओं और समग्र संसंधानों के आधार पर की जाती है।

आशाकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी माना जाता है और वे कार्य/गतिविधि आधारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के हकदार हैं। आशाकर्मियों को नियमित और बार-बार की जाने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन(इंसेंटिव) दिया जाता है। ये इंसेंटिव केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम एनएचएम के तहत दिये जाते हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आरंभ किए जाने के पश्चात्, मॉनीटर किए गए कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर आशाकर्मी एएनएम के साथ साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) (1000 रुपये प्रति माह तक) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं।

आशाकर्मी गैर मौद्रिक इंसेंटिव जैसे- आशा वर्दी, पहचान पत्र, साईकिल, मोबाईल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, दवा-किट, आशा विश्राम कक्ष इत्यादि के लिये भी पात्र हैं।

वर्ष 2018 में, आशाकर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए आशा बेनिफिट पैकेज भी शुरु किया गया था। यह पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जिसमें बीमा धारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है। (वार्षिक प्रीमियम का अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें दुर्घटना में मृत्यु पर या स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है; आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये का लाभ दिया जाता है। (वार्षिक प्रीमियम का अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।)

इसके अतिरिक्त, आशा कर्मियों के लिए प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के पश्चात् 3 हजार रुपये प्रति माह का पेंशन लाभ मिलता है (प्रीमियम का अंशदान 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा और 50 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा किया जाता है)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मियों को निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आशाकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य परिचर्या कवरेज भी दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त केरल राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएचएम के तहत मिलने वाले लाभों के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बजट से आशाकर्मियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं,

भौगोलिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएचएम के तहत मिलने वाली सहायता के अलावा आशाकर्मियों को उचित मानदेय देने का निर्णय कर सकते हैं।

आशाकर्मियों और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों की समुदाय में साख को बढ़ाने और उनके ज्ञान व कौशल में वृद्धि करके स्वास्थ्य संबंधी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उनका प्रशिक्षण अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण कार्यबल को एक सुविधा प्रदाता, सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाता और स्वास्थ्य कर्मी के रूप में अपनी अलग-अलग भूमिकाएं उचित रूप से निभाने में मदद करता है।

आशाकर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण हेतु कैस्केड मॉडल अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षक राज्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं जो आगे जिला/ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षकों या आशाकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या कार्यबल और फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कैस्केड मॉडल में प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से योजना तैयार की जाती है और प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी अपनी निधियों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

आशाकर्मियों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर देखे जा सकते हैं:

https://nhm.gov.in/images/pdf/communitisation/asha/Orders-Guidelines/Guidelines_for_Community_Processes_2014_English.pdf

*****